

रतलाम में तीन स्थानों पर दीनदयाल अंत्योदय रसोई का शुभारंभ हुआ
मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान के उद्बोधन को लाइव देखा व सुना गया

रतलाम 26 फरवरी । दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना के तहत 100 नवीन और सुदृढ़ीकृत रसोई केन्द्रों का ई लोकार्पण प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराजसिंह जी चौहान ने भोपाल के मिन्टो हॉल दीनदयाल रसाई योजना पोर्टल का रिमोट से बटन दबाकर किया।

आयोजित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण राजीव गांधी सिविक सेन्टर स्थित दीनदयाल रसोई योजना केन्द्र क्रमांक 1 पर किया गया जिसे पूर्व निगम अध्यक्ष श्री अशोक पोरवाल के अलावा श्री मनोहर पोरवाल, श्री निर्मल कटारिया, निगमायुक्त श्री सोमनाथ झारिया, सहायक आयुक्त श्रीमती ज्योति सुनारिया, कार्यपालन यंत्री श्री सुरेश व्यास, श्री जी.के. जयसवाल, सहायक यंत्री श्री श्याम सोनी, स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, उपयंत्री श्री ब्रजेश कुशवाह, सिटी मैनेजर श्री नितिन तिवारी, श्री कपील मारोठिया, झोन प्रभारी श्री किरण चौहान के अलावा श्री राकेश परमार सहित हितग्राही आदि ने देखा व सुना।

माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान द्वारा किये गये लोकार्पण के तहत नगर निगम द्वारा राजीव गांधी सिविक सेंटर, डॉ० अंबेडकर मांगलिक भवन पोलोग्राउण्ड तथा त्रिपोलिया गेट पर दीनदयाल रसोई आरंभ की गई जहां गरीब, निर्धन व जरूरतमंद व्यक्तियों को 10 रुपए में भरपेट भोजन थाली की सुविधा मिलेगी। कार्यक्रम के सीधे प्रसारण के बाद तीनों रसोई केन्द्रों की शिलालेख पट्टिकाओं का अनावरण किया गया।

कार्यक्रम पश्चात दीनदयाल अंत्योदय रसोई प्रारंभ करते हुए निर्धन व्यक्तियों को भोजन परोसा गया जिसके तहत राजीव गांधी सिविक सेन्टर पर 75, त्रिपोलिया गेट पर 69 व डॉ० अंबेडकर मांगलिक भवन पोलोग्राउण्ड पर 14 इस तरह कुल 158 व्यक्तियों ने भोजन ग्रहण किया।

। वर्तमान में प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक राष्ट्रीय अवकाश, होली तथा रविवार छोड़कर प्रतिदिन 10 रुपए में भोजन की थाली उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें दाल, चावल, सब्जी, रोटी, कढ़ी मिलेगी।

10 व्यक्तियों पर स्पॉट फाईन कर 7 किलो पॉलीथीन जब्त 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोग प्रतिबंधित उपयोग व भण्डारण पर होगी जब्ती व लगेगा दण्ड

रतलाम 26 फरवरी । शासन निर्देशानुसार नगरीय क्षेत्र रतलाम में 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व प्लास्टिक उपयोग प्रतिबंधित किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगरीय क्षेत्र रतलाम में सब्जी, फल-फुट व अन्य सामग्री के फुटकर व्यवसायी अगर 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का उपयोग करते हैं तो उन पर 50 रुपये का अर्थदण्ड किया जाकर पॉलीथीन जब्ती की कार्यवाही की जायेगी। इसी तरह दुकानदारों द्वारा 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का उपयोग व भण्डारण करता है तो उस पर 5000/- रुपये का अर्थदण्ड किया जाकर पॉलीथीन जब्ती की कार्यवाही की जायेगी।

नगर निगम के स्पॉट फाईन दल द्वारा ऐसे दुकानदार व सब्जी विक्रेता जो कि गंदगी कर रहे थे व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोग कर रहे थे उन पर की गई जुर्माने की कार्यवाही के तहत ललीत नाहरपुरा, संजय माहेश्वरी धानमण्डी पर 500-500, राहूल, गुड्डू भाई बाजना बस स्टैण्ड पर 250-250, सरूण, राहूल गांधी बाजना बस स्टैण्ड पर 150-150, हितेन्द्र धानमण्डी पर 100,

श्यामाबाई, कान्हा भाई व एक अन्य बाजना बस स्टैण्ड पर 50-50 रुपये का जुर्माना कर भविष्य में 50 मार्झक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोग ना करने की समझाई दी गई व लगभग 7 किलो पॉलीथीन जब्त की गई।

नगर के नागरिक, दुकानदार व फुटकर व्यापारियों से अपील की जाती है कि वे 50 मार्झक्रॉन से कम मोटाई वाली पॉलीथीन व प्लास्टिक का उपयोग व भण्डारण ना करें।

जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, झोन प्रभारी श्री किरण चौहान व श्री पर्वत हाड़े, उप स्वच्छता निरीक्षक श्री जय उपाध्याय आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलाने, अतिक्रमण करने पर संबंधितों के विरुद्ध जुर्माना किये जाने का अभियान निरंतर जारी रहेगा।

अनुपस्थित 4 मालियों को कारण बताओ सूचना—पत्र

रतलाम 26 फरवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार 25 फरवरी गुरुवार को कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित नीरज—कन्हैयालाल, राकेश—बजरंगलाल, ईश्वर —तेजराम व राजेश—अम्बाराम का वेतन काटे जाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने के संबंध में कारण बताओ सूचना—पत्र जारी कर तीन दिवस में स्पष्टीकरण चाहा गया।

धानमण्डी में 1 मार्च को लगेगा निगम का बकाया वसूली शिविर

नागरिकों ने 40,41,144/- संपत्तिकर व 8,40,090/- जलकर जमा कराया

रतलाम 26 फरवरी । नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधीत करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली शिविर 18 जनवरी से आयोजित किये गये हैं जो 27 मार्च तक चलेंगे।

आयोजित शिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरण, जलकर, दुकान, गुमटी किराया, लायसेंस शुल्क एवं विकास शाखा से संबंधित भवन की किश्त तथा भू—भाटक की बकाया राशि जमा करा सकेंगे।

निगम द्वारा आयोजित शिविरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर शिविर में संपत्तिकर 1,10,000/- व जलकर 6,000/-, मालवा नगर लक्ष्मणपुरा शिविर में संपत्तिकर 1,40,000/- व जलकर 55,775/-, अम्बे माता जवाहर नगर शिविर में संपत्तिकर 2,38,000/- व जलकर 49,010/-, विनोबा नगर शिविर में संपत्तिकर 1,29,000/- व जलकर 43,670/-, अलकापुरी कम्यूनिटी हॉल शिविर में संपत्तिकर 1,22000/- व जलकर 29,280/-, तिरुपति शिविर में संपत्तिकर 77,000/- व जलकर 19,850/-, कोमल नगर शिविर में संपत्तिकर 1,27,000/- व जलकर 48,220/-, मार्निंग स्टार स्कूल शिविर में संपत्तिकर 1,12,000/- व जलकर 14,000/-, कस्तुरबा नगर शिविर में संपत्तिकर 5,47,000/- व जलकर 86,540/-, प्रियदर्शनी नगर शिविर में संपत्तिकर 1,02,000/- व जलकर 3,76,905/-, डोंगरे नगर शिविर में संपत्तिकर 1,82,500/- व जलकर 76,470/-, हाट रोड शिविर में संपत्तिकर 68,000/- व जलकर 47,595/-, कलीमी कालोनी शिविर में संपत्तिकर 1,17,000/- व जलकर 22,680/-, राजेन्द्र नगर शिविर में संपत्तिकर 1,01,644/- व जलकर 55,320/-, काटजू नगर शिविर में संपत्तिकर 2,76,000/- व जलकर 59,500/-, वेदव्यास कालोनी शिविर में संपत्तिकर 26,62,144/- व जलकर 6,71,025/-, कल्याण नगर शिविर में संपत्तिकर 71,000/- व जलकर 19,000/-, दीनदयाल नगर शिविर में संपत्तिकर 2,47,000/- व जलकर 64,780/-, बोहरा बाख्वल शिविर में संपत्तिकर 4,92,000/- व जलकर 66,715/-, रामगढ़ शिविर में संपत्तिकर 1,60,000/- व जलकर 34,340/-, लक्कड़पीठा प्याऊ के पास शिविर में संपत्तिकर 2,30,000/- व जलकर 44,230/-, धानमण्डी शिविर में संपत्तिकर 1,20,000/- व जलकर 17,000/- की राशि जमा कराई। इस तरह नागरिकों ने अब तक आयोजित शिविरों में 40,41,144/- संपत्तिकर व 8,40,090/- जलकर की राशि जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित किये गये वसूली शिविरों के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 48 व 49 के लिये 1 मार्च को आर्य समाज मंदिर धानमण्डी, वार्ड क्रमांक 40 व 41 के लिये 2 मार्च को जूनी कोर्ट किरण

टॉकिंज, वार्ड क्रमांक 28, 29, 36, 37 व 38 के लिये 3 से 4 मार्च को लॉ कॉलेज आनंद कालोनी, वार्ड क्रमांक 28 के लिये 5 मार्च को प्रताप नगर उद्यान के पास, वार्ड क्रमांक 13 के लिये 6 मार्च को महावीर नगर, वार्ड क्रमांक 39, 40 व 41 के लिये 8 से 9 मार्च तक पैलेस रोड तिराहा, वार्ड क्रमांक 25, 26 व 27 के लिये 10 मार्च को चौगानिया भेरु, वार्ड क्रमांक 24, 25 व 42 के लिये 12 व 15 मार्च को शिक्षा विभाग सायर चबुतरा, वार्ड क्रमांक 43 व 45 के लिये 16 व 17 मार्च तक चौमुखीपुल प्याऊ के पास, वार्ड क्रमांक 41 के लिये 18 से 19 मार्च तक बजाजखाना गणेश देवरी, वार्ड क्रमांक 33, 34 व 35 के लिये 20 व 22 मार्च को शास्त्री नगर सेंट्रल बैंक के पास, वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लिये 23 से 24 मार्च तक दो बत्ती चौराहा, वार्ड क्रमांक 30, 31, 32 व 34 के लिये 25 से 26 मार्च तक स्टेशन रोड दिलबहार चौराहा व वार्ड क्रमांक 16 व 17 के लिये 27 मार्च को टाटा नगर में कार्यालयीन समय में शिविर आयोजित किये गये हैं।

निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि निगम द्वारा उक्त शिविर बकायादारों की सुविधा के लिए आयोजित किये गये हैं इन आयोजित शिविरों में बकायादार अपनी बकाया राशि जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।

स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा 697 मवेशियों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा

रत्नाम 26 फरवरी । रत्नाम नगर को साफ—स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानों, सड़को, चौराहों पर स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा अब रात्रि में भी मवेशियों को पकड़ा जायेगा क्योंकि मवेशी पालको द्वारा दिन में मवेशियों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रत्नाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा 13 अक्टूबर से अभियान चलाया गया तथा 26 फरवरी तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 697 मवेशियों को पकड़ा जाकर जिले की विभिन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 26 फरवरी को घांस बाजार, हरमाला रोड, पुलिस लाईन, जवाहर नगर, डाट की पुल व गांधी नगर से 6 मवेशी निगम के स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा पकड़े गये।

शहर के सार्वजनिक स्थानों, सड़को चौराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को अभियान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी किया गया है। शहरी क्षेत्र में मवेशियों का पालन करना नियम विपरित है, ऐसे मवेशी पालक जो कि शहरी क्षेत्र में अनुमति के विपरित तबेले एवं बाड़ों का निर्माण कर मवेशियों का पालन किया जा रहा है वे स्वयं अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते हैं तो निगम द्वारा उन्हे तोड़ा जाकर राशि वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो कि अपना घोड़ा या अन्य किसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोड़ेगा व उससे किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो पालक पर 500 रुपये का अर्थदण्ड किये जाने का प्रावधान है। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड राशि रुपये 500/- वसूल करेगा स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए०पी० सिंह, झोन प्रभारी श्री किरण चौहान, श्री पर्वत हाड़े व स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा की गई।

निगम द्वारा युद्ध स्तर पर किये जा रहे हैं लीकेज दुरस्त

127 दिनों में 148 वॉल्व व 870 पाईप लीकेज दुरस्ती का कार्य पूर्ण

रतलाम 26 फरवरी । शहर की जलप्रदाय व्यवस्था को निरंतर बनाये रखने तथा जलप्रदाय व्यवस्था को ओर अधिक सुदृढ़ बनाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार पाईप लाईन व वॉल्व लीकेज दुरस्त करने का कार्य जलप्रदाय विभाग द्वारा 23 अक्टूबर से प्रारंभ किया गया जिसके तहत 25 फरवरी तक 148 वॉल्व व 870 पाईप लाईन लीकेजों को दुरस्त किया जा चुका है।

“रतलाम जलशक्ति अभियान” व्हाट्स एप ग्रुप में लीकेज की समस्या को अपलोड किया जा रहा है तथा अपलोड की गई लीकेज संबंधी समस्या का तत्काल निराकरण करवाया जा रहा है जिसके तहत 26 फरवरी शुक्रवार को शक्ति नगर, कल्याण नगर, इन्द्रा नगर डॉ० हर्ष दुबे के मकान के पास व टैंकर रोड बहुचर माता मंदिर के पास पाईप लाईन लीकेज दुरस्त किये गये।

उक्त कार्यवाही कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास, जलप्रदाय विभाग प्रभारी श्री सत्यप्रकाश आचार्य, उपयंत्री श्री सुहास पंडित, श्री भैयालाल चौधरी के अलावा श्री नीरज यादव, श्री मोहन आदि के निर्देशन में की गई।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विस्तृद्व होगी कार्यवाही

रतलाम 26 फरवरी । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डों की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले-नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगी, कचरे के ठेर, नाले-नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समुचित साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निष्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीरण की दी समझाईश स्वच्छता के लिये नगरिक दे रहे हैं फीडबैक

रतलाम 26 फरवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा दिये गये निर्देशानुसार नगर के समस्त घरों, दुकानों आदि से 100 प्रतिशत गीला एवं सूखा कचरा पृथक-पृथक संग्रहित किये जाने हेतु नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम आस्था के सदस्यों द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को स्वच्छता बनाये रखने गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक रखने की समझाईश दी जा रही है।

नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम डिवाईन के सदस्यों द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीरण हेतु घरों एवं दुकानों में पृथक-पृथक कचरा पात्र रखकर पृथक-पृथक कचरा एकत्रिकरण व गीले एवं सूखे कचरे को निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालने की समझाईश दी साथ ही नागरिकों से स्वच्छता हेतु स्वच्छता एप पर सिटीजन फीडबैक लिया।

सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने हेतु नागरिक स्वच्छता एप का उपयोग करें

रतलाम 26 फरवरी । रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड, निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मिशन के तहत सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने के लिये भारत सरकार द्वारा तैयार किये गये स्वच्छता एप की जानकारी निगमकर्मियों व नगर निगम की सहयोगी संस्था आस्था के सदस्यों ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नागरिकों को दी।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत किये जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण—2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने के लिये रतलाम नगर के नागरिक सफाई संबंधी शिकायत स्वच्छता एप दर्ज कराने के लिये अपने एन्ड्रोयड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर में जाकर स्वच्छता एप टाईप करें, उसके पश्चात एप को इन्स्टाल करें। इन्स्टाल करने के बाद एप्लीकेशन ओपन करके अपना मोबाइल नम्बर रजिस्टर्ड करें। इसके बाद अपना जीपीएस ऑन करें इसके बाद आपकी सफाई संबंधी शिकायत का फोटो लेकर अपलोड करें। अपलोड की गई शिकायत नगर निगम के पास आयेगी और उसका तत्काल निराकरण किया जायेगा।

कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिक एवं दुकानदरों को रखना होंगे 4 डस्टबीन खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी अतिक्रमण व गंदगी करने पर होगा जुर्माना

रतलाम 26 फरवरी । नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार एवं नागरिक जो कि अपनी दुकानों एवं घरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 डस्टबीन नहीं रख रहे हैं व दुकानों के सामने गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात् कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्री, फल—सब्जी के छिलके, घांस व पेड़ की पत्तियां, राख, चाय पत्ती, बचा हुआ खाना आदि के लिये हरा डस्टबीन, सूखा कचरा अर्थात् पुस्टा, अखबार, लोहा, कपड़ा, शाल, कांच, पैकिंग मटेरियल, टुटे खिलौने, प्लास्टिक आदि के लिये नीला डस्टबीन, घरेलू हानिकार कचरे के लिये पेन्ट के डिब्बे, पेस्टीसाइड के डिब्बे, सीएफएल, ट्यूबलाईट, थर्मामीटर, बैटरी आदि के लिये काला डस्टबीन तथा मेडिकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीन, डायपर, सुई, सिंरिज, मास्क, ग्लब्स, पीपीई कीट आदि के लिये पीला डस्टबीन रखकर अपने घरों एवं दुकानों तथा प्रतिष्ठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक—पृथक भागों में डालकर कचरा पृथक्कीकरण कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जो नागरिक या दुकानदार उक्तानुसार कचरे का पृथक्कीकरण नहीं करेगा व खुले में कचरा डालने वालों उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

नागरिक एवं दुकानदार खुले में कचरा डालेंगे तो उन पर भी नगर निगम अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। नगर के विभिन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा रही है। नगर निगम की टीम संबंधित के घर एवं दुकानों पर जाकर 5000—5000 हजार का जुर्माना करेगी।

समाचार / ज.सं.वि. / हेमन्त / 26.02.2021 / न.पा.निगम, रतलाम.